न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–16 / 2025

सरकार जरिये रामसिंह मीना जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़
–प्रार्थी

बनाम्

श्री राजपाल सिंह उर्फ राजू पुत्र प्रभुसिंह बाण्डा कालोनी, अनूपगढ़
–अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए

–ःनिर्णयः–

दिनांकः–17.06.2025

यह इस्तगासा **रामसिंह मीना जिला रसद अधिकारी** द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक–20.09.2024 को **रामसिंह मीना जिला रसद अधिकारी,** बांडा कालोनी अनूपगढ में स्थित मोबाइल टॉवर के पास श्री प्रभुसिंह के नोहरे पर पहुँचें। पर पहुँचें। जांच के दौरान बांडा कालोनी अनूपगढ में स्थित मोबाइल टॉवर के पास **श्री राजपाल सिंह उर्फ राजू पुत्र प्रभुसिंह बाण्डा कालोनी** मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को फर्म का मालिक बताया। जांच के दौरान बांडा कालोनी अनूपगढ़ स्थिति मोबाईल टॉवर के पास श्री प्रभुसिंह के नोहरे पर श्री प्रभुसिंह पुत्र भवंर सिंह बांडा कालोनी अनूपगढ़, मौके पर उपस्थित मिले तथा स्वयं को श्री राजपालसिंह उर्फ राजू का पिता बताया। श्री प्रभुसिंह ने बताया की मेरा पुत्र राजपाल सिंह उर्फ राजूसिंह कारों में गैस रिफ्लिंग का कार्य करता है जो घरेलू सिलेण्डरों से विद्युत चालित मोटरों में कारों में भुगतान के आधार पर गैस रिफ्लिंग करता है। नोहरे की जांच में पाया कि इस नोहरे पर कारों मे गैंस रिफ्लिंग का कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर विद्युत चालित मोटरों से कारों में भुगतान के आधार पर गैस रिफ्लिंग किया जाता है। मौके पर श्री प्रभुसिंह के नोहरे पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये, तथा 02 कारों में गैस रिफ्लिंग करने वाली विद्युत चलित मोटरों पाई गयी। श्री राजपालसिंह उर्फ राजूसिंह मौके से फरार हो गया उसके पिता श्री प्रभुसिंह से बुलाने के लिए कहा तो श्री प्रभुसिंह ने बताया कि मेरे पुत्र राजपालसिंह उर्फ राजूसिंह का मोबाइल स्विच ऑफ है मेरा पुत्र राजपालसिंह नोहरे पर कारों में गैस रिफ्लिंग का कार्य करता है घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से लाता है मुझे नही पता होना बताया तथा उक्त सिलेण्डरों के भंडारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज मौके पर नोहरे में उपस्थित श्री प्रभुसिंह के पास नही मिला।

प्रभुसिंह के नोहरें में पाये गये 07 घरेलू गैस सिलेण्डर,02 कारों में गैस रिपिलिंग करने वाली विद्युत चलित मोटरों को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये एवं सिद्धी विनायक गैस एजेन्सी अनूपगढ़ के कार्मिक बिल्लू गल्होत्रा पुत्र श्री मुश्ताक राय उम्र 55 जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. –01 सूरतगढ़ आधार सं.–958926289530 मो.नं.–9610887491 को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका व जब्ती, मौका नजरी नक्शा एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। श्री राजपाल उर्फ राजू द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध तरीके से व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जा रहा था। **श्री राजपाल सिंह उर्फ राजू पुत्र प्रभुसिंह बाण्डा कालोनी** का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन)

आदेश–2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6व7(1)(ग) एवं द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस(मोटर वाहनों में उपयोग का विनियमन) आदेश 2001 की धारा 3(1)(2)(3)(5) का स्पष्ट उल्लंधन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है क मौके से 07 घरेलू गैस सिलेण्डर, 02 कारों में गैस रिफ्लिंग को राजसात करना उचित समझते है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय मैं जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के घर पर प्रार्थी के जानकार सिलेण्डर छोड़ गये थे जो कि उक्त सिलेण्डर प्रार्थी के नही है तथा प्रार्थी आयन्दा कभी सिलेण्डर अपने घर नही रखवायेगा तथा जो मोटर बरामद की गयी है वह खराब मोटर थी जो काम नही आती थी। प्रार्थी इस संबंध में क्षमा प्रार्थी है। भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा तथा प्रार्थी के विरूद्ध नोटिस की कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जावें।

प्रकरण में अप्रार्थी को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के घर प्रार्थी के जानकार व्यक्तियों के गैस सिलण्डर रखे हुए थे तथा जो गैस रिफ्लिंग की मोटर बरामद की गयी वे चालू हालात में नही होकर खराब दशा में थी। प्रार्थी ने अपने कथनों में यह भी निवेदन किया कि अपनी दैनिक जीवनचर्या को बेमुश्किल निर्वहन कर रहा है, ऐसी स्थिति में यदि सिलेण्डर जब्ती संबंधी कार्यवाही की जाती है तो जिन परिवारों के सिलेण्डर थे, उनको वापिस करना उसके लिए भारी पड़ेगा, जिससे आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ने से परिवार का भरण पोषण कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रार्थी ने क्षमा याचना करते हुए निवेदन किया कि भविष्य में घर पर सिलेण्डर रखवाए जाने संबंधी कोई त्रुटि नही करेगा।

अतः प्रार्थी की दशा का देखते हुए उसके कथनों पर विश्वास करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के जब्तशुदा सामान अप्रार्थी को लौटाए जाने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तन निरीक्षक उपखण्ड कार्यालय अनूपगढ़ को भिजवाते हुए जब्तशुदा सामान अप्रार्थी को 07 दिवस में लौटाया जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवाए जाने हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ANUPGARH

(अशोक सांगवा)आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ